



Neutral Citation No. - 2026:AHC:958

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

फौजदारी प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44338/2025

सनी.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रत्यर्थी (गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

नरेन्द्र कुमार, योगेन्द्र पाल सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति

1. सूची पुनरीक्षित की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
3. आवेदक वर्तमान वाद में विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ में मुकदमा अपराध संख्या 606/2025, धारा 103(1), 109(1), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत जमानत की मांग कर रहा है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों, यथा, लज्जो, संगीता और भोला द्वारा दिनांक 30.08.2025 को शाम लगभग 6:30 बजे मुखबिर और उसके चाचा पर ईंटों से हमला करने की बात कही गई है, जिससे उन्हें चोटें आईं और मुखबिर के चाचा की मृत्यु हो गई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष हैं और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग चार घंटे की देरी से है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मुखबिर को आई चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। मृतक व्यक्ति को उसके कपाल पर केवल एक चोट लगी थी जो उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर थी। इसमें चार अभियुक्त व्यक्ति हैं। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, अतः अभियोजन की कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुखबिर की चोट रिपोर्ट से पुष्ट नहीं होती है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध निर्दिष्ट दो मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक 31.08.2025 से जेल में बंद हैं और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन नहीं किया जा सका।
8. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648 में यह विचार व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।
9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं और इस तथ्य के साथ कि मृतक व्यक्ति को केवल एक ही चोट आई है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. आवेदक- सनी, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

6 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"